बिहार लोक सेवा आयोग

15, नेहरू पथ (बेली रोड), पटना – 800001

विज्ञापन संख्या – 07/2022, सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग के अन्तर्गत लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए विस्तृत कार्यक्रमः–

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग के पदों पर नियुक्ति हेतु प्रकाशित वि.सं. 07/2022 के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा का परीक्षाफल दिनांक 23.09.2023 को प्रकाशित किया गया था, जिसमें कुल 504 उम्मीदवार सफल घोषित किये गये। आयोग उक्त सभी सफल उम्मीदवारों को उनके दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए आमंत्रित करता है, जिसका विस्तृत कार्यक्रम निम्न प्रकार हैः–

क्र॰सं॰	दिन एवं दिनांक	प्रथम पाली (समयः 10:00 बजे पूर्वाह्न से)	द्वितीय पाली (समयः 2:00 बजे अपराह्न से)
		उम्मीदवारों का अनुक्रमांक	उम्मीदवारों का अनुक्रमांक
1.	सोमवार 06.11.2023	700006, 700014, 700019, 700021, 700027, 700028, 700031, 700033, 700034, 700038, 700045, 700046, 700047, 700056, 700065, 700073, 700075, 700080, 700094, 700100, 700103, 700108, 700111, 700113, 700114, 700122, 700123, 700125, 700131, 700134, 700141, 700147, 700148, 700150, 700154, 700160, 700161, 700167, 700172, 700174, 700179, 700189, 700194, 700197, 700202, 700203, 700210, 700211, 700219, 700220, 700227, 700234, 700236, 700245, 700246, 700268, 700276, 700279, 700291, 700296, 700306, 700318, 700326, 700330, 700332	700334, 700337, 700338, 700339, 700347, 700351, 700355, 700361, 700378, 700386, 700397, 700399, 700401, 700407, 700423, 700424, 700425, 700431, 700440, 700442, 700443, 700450, 700453, 700454, 700456, 700457, 700461, 700463, 700464, 700465, 700476, 700478, 700480, 700481, 700482, 700484, 700496, 700497, 700515, 700521, 700529, 700531, 700538, 700544, 700547, 700552, 700572, 700573, 700586, 700601, 700602, 700607, 700612, 700613, 700619, 700628, 700633, 700634, 700647, 700648, 700654, 700661, 700667, 700675, 700686
2.	मंगलवार 07.11.2023	700691, 700707, 700710, 700713, 700715, 700723, 700733, 700748, 700750, 700755, 700756, 700757, 700760, 700767, 700769, 700776, 700780, 700783, 700791, 700795, 700803, 700804, 700805, 700806, 700808, 700809, 700816, 700817, 700825, 700830, 700832, 700833, 700836, 700855, 700861, 700866, 700867, 700871, 700880, 700884, 700889, 700891, 700897, 700898, 700900, 700901, 700904, 700910, 700921, 700925, 700930, 700941, 700945, 700947, 700959, 700963, 700967, 700968, 700979, 700981, 700989, 700991, 700996, 701002, 701008	701030, 701031, 701043, 701047, 701058, 701059, 701060, 701061, 701064, 701066, 701068, 701076, 701089, 701092, 701095, 701104, 701106, 701122, 701152, 701177, 701181, 701182, 701189, 701193, 701196, 701197, 701203, 701204, 701208, 701212, 701234, 701244, 701259, 701269, 701272, 701278, 701284, 701286, 701296, 701297, 701303, 701304, 701309, 701310, 701320, 701324, 701329, 701338, 701342, 701346, 701349, 701361, 701364, 701366, 701367, 701375, 701379, 701391, 701392, 701396, 701402, 701403, 701407, 701415, 701417
3.	बुधवार 08.11.2023	701430, 701440, 701444, 701445, 701458, 701464, 701465, 701466, 701468, 701475, 701477, 701487, 701492, 701497, 701517, 701518, 701522, 701527, 701536, 701539, 701541, 701545, 701549, 701554, 701558, 701561, 701563, 701567, 701568, 701571, 701577, 701580, 701582, 701585, 701588, 701595, 701598, 701601, 701612, 701622, 701628, 701636, 701640, 701645, 701656, 701665, 701674, 701687, 701694, 701700, 701704, 701710, 701717, 701724, 701737, 701739, 701741, 701745, 701750, 701751, 701752, 701753, 701754, 701755, 701758	701764, 701767, 701770, 701784, 701787, 701801, 701805, 701807, 701810, 701811, 701820, 701822, 701824, 701832, 701833, 701835, 701840, 701841, 701843, 701844, 701846, 701853, 701855, 701866, 701867, 701868, 701870, 701873, 701874, 701898, 701902, 701905, 701911, 701914, 701918, 701919, 701924, 701925, 701932, 701942, 701944, 701952, 701958, 701960, 701961, 701967, 701971, 701976, 701983, 701989, 701993, 702001, 702003, 702014, 702018, 702029, 702044, 702045, 702052, 702054, 702063, 702067, 702068, 702072, 702082
4.	गुरूवार 09.11.2023	702086, 702089, 702095, 702097, 702104, 702112, 702132, 702138, 702148, 702152, 702162, 702164, 702167, 702168, 702174, 702176, 702180, 702183, 702191, 702192, 702195, 702197, 702200, 702202, 702203, 702212, 702215, 702224, 702228, 702241, 702243, 702244, 702249, 702265, 702270, 702271, 702273, 702274, 702279, 702288, 702292, 702295, 702301, 702303, 702311, 702312, 702321, 702325, 702328, 702329, 702349, 702362, 702371, 702375, 702376, 702378, 702381, 702386, 702392, 702396,	702397, 702398, 702402, 702403, 702410, 702415, 702417, 702419, 702423, 702425, 702435, 702436, 702438, 702443, 702444, 702452, 702455, 702458, 702470, 702471, 702472, 702487, 702492, 702493, 702495, 702500, 702504, 702505, 702527, 702535, 702536, 702550, 702551, 702553, 702572, 702581, 702582, 702583, 702586, 702587, 702591, 702593, 702595, 702599, 702600, 702607, 702611, 702615, 702629, 702632, 702634, 702636, 702640, 702649

02. उपर्युक्त सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन के लिए अलग से प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार उक्त विज्ञापन के लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा के ई–प्रवेश पत्र के साथ दस्तावेज सत्यापन में शामिल होना सुनिश्चित करेगे।

03. आयोग के उक्त वेबसाईट पर आवेदन पत्र का सार **प्रपत्र– I एवं II** उपलब्ध रहेंगे, जिन्हें भरकर उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के दिन लाना अनिवार्य है। **प्रपत्र– I एवं II** में उम्मीदवारों द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ/सूचनाएँ/दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र मूल में सत्यापन हेतु उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। उक्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियाँ सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं करने पर उम्मीदवारों की अर्हता प्रभावित होगी तथा इस सम्बन्ध में पुनः किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा एवं तत्सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

04 **सभी उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन के दिन विज्ञापन की कंडिका– 9 (i) के आलोक में अंतिम रूप से भरे गये ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी की एक प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही उम्मीदवारों को प्रकाशित विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अपने ऑनलाईन आवेदन में योग्यता सम्बन्धी दावे/सूचना से सम्बन्धित निम्नलिखित आवश्यक मूल (Original) प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं इन सभी की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रतियाँ निम्नांकित क्रमानुसार दो सेट (अलग–अलग) में भी लाना अनिवार्य होगा:–**

(i) **जन्म तिथि के साक्ष्य के लिए मैट्रिक का प्रमाण–पत्र/अंक प्रमाण–पत्र।**

(ii) **स्नातक (B.E/B.Tech/B.S/B.Sc (Engg.), AMIE Section- A & B) का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।**

(iii) **स्नातक (B.E/B.Tech/B.S/B.Sc (Engg.), AMIE Section- A & B) का डिग्री प्रमाण–पत्र।**

(iv) सम्बन्धित विषय में AMIE (Section- A & B) उत्तीर्णता की स्थिति में **इस आशय का प्रमाण पत्र यथा Enrollment/ Registration Certificate** कि उन्हें AMIE में दिनांक–31.05.2013 तक Enrollment with permanent recognition प्राप्त कर उक्त डिग्री प्राप्त है।

(v) **स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech/M.S/Integrated M.Tech.) का सभी वर्ष/सेमेस्टर का अंक पत्र।**

(vi) **स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech/M.S/Integrated M.Tech.) का डिग्री प्रमाण पत्र।**

(vii) **स्नातक (B.E/B.Tech/B.S/B.Sc (Engg.), AMIE Section- A & B)/स्नातकोत्तर (M.E/M.Tech./ M.S/ Integrated M.Tech.) अंक पत्र/डिग्री प्रमाण पत्र में CGPA/DGPA/YGPA/ OGPA /GPA/CPI इत्यादि अंकित रहने की स्थिति में** सम्बन्धित बोर्ड/विश्वविद्यालय से उक्त ग्रेडिंग प्रणाली (CGPA/DGPA/ YGPA/OGPA/GPA/CPI) को Percentage में बदलने का Conversion formula/ Certificate.

उक्त Conversion formula/Certificate संलग्न नहीं करने की स्थिति में विज्ञापन में अंकित नोटः– "बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमावली के CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/अंकों में परिवर्तित किया जाएगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय के नियमावली नहीं रहने की स्थिति में AICTE द्वारा CGPA एवं ग्रेड को प्रतिशत/ अंकों में परिवर्तित करने का फार्मूला मान्य होगा।" के आधार पर कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा।

(viii) **पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना (Notification)।**

(ix) **पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र।**

(x) **पीएच.डी. उत्तीर्णता प्रमाण पत्र में ब्रांच/विषय यथा 07/2022 के लिए कम्प्यूटर साईंस एण्ड इंजीनियरिंग अंकित नहीं रहने की स्थिति में पीएच.डी. कोर्स वर्क प्रमाण पत्र/रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र/पीएच.डी. उत्तीर्णता सम्बन्धी अधिसूचना– Notification (ब्रांच/विषय अंकित होने की स्थिति में) अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण पत्र** कि उक्त उम्मीदवार द्वारा सम्बन्धित विषय/विभाग से पीएच.डी. उत्तीर्ण है, प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना होगा।

(xi) **विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार के अधीन राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में संविदा/TEQIP पर नियोजित सहायक प्राध्यापक, का अनुभव प्रमाण पत्र (विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार द्वारा निर्गत)।**

(xii) **पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र)।**

(xiii) **सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना ज्ञापांक 6026, दिनांक 19.04.2022 के आलोक में लोहार जाति के उम्मीदवारों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत)।**

(xiv) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए जाति प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण पत्र)।**

(xv) **अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए निवास प्रमाण पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत निवास प्रमाण पत्र।**

(xvi) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) का दावा करने वाले आवेदक, बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या–2622, दिनांक– 26.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्संबंधी प्रमाण–पत्र।

(xvii)(क) **दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के आलोक में सक्षम प्राधिकार (राज्य सरकार द्वारा विधिवत् रूप से गठित मेडिकल बोर्ड, जिसमें कम से कम तीन सदस्य होंगे। इन सदस्यों में कम से कम एक सदस्य, जैसा भी मामला हो, का मूल्यांकन करने के लिए क्षेत्र विशेष का विशेषज्ञ होना चाहिए।) द्वारा निर्गत। दावा करने की स्थिति में प्रस्तुत कर मूल से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।**

(ख) **मूक बधिर (DD) दिव्यांग उम्मीदवार (बिहार एवं अन्य राज्य सहित) अपनी दिव्यांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र इन्दिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (IGIMS, Patna) से बनवाकर जमा करना सुनिश्चित करेंगे।**

(ग) **बिहार राज्य से बाहर के दिव्यांग अभ्यर्थी अपना दिव्यांगता प्रमाण पत्र बिहार सरकार द्वारा निर्गत विहित प्रारूप में बिहार सरकार के सक्षम प्राधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र लाना सुनिश्चित करेंगे।**

नोटः– अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र विधि मान्य नहीं होगा।

(xviii) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतीनी होने का) प्रमाण–पत्र (परिचय पत्र मान्य नहीं होगा)।

(xix) केन्द्र सरकार, अर्द्ध सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर, बिहार सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त रहने की स्थिति में, तो परीक्षा में भाग लेने हेतु विभागीय अध्यक्ष/सक्षम प्राधिकार का **अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate)।**

(xx) पहचान पत्र (फोटोयुक्त) यथा – मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट इत्यादि।

(xxi) हाल का खिंचा हुआ 4 (चार) फोटो।

साथ ही इन सभी मूल प्रमाण–पत्रों एवं अंक पत्रों की छायाप्रति दो अलग–अलग सेट में उम्मीदवारों द्वारा स्वअभिप्रमाणित कर जमा करना अनिवार्य होगा। योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे, जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र के निर्गत होने की तिथि, आवेदन करने की अंतिम तिथि 28.09.2022 तक का निर्गत होना आवश्यक है।

05. **उम्मीदवार प्रमाण पत्रों/कागजातों की मूल प्रति दस्तावेज सत्यापन के दिन ही निश्चित रूप से समर्पित करेंगे। यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के दिन प्रमाण पत्र/कागजात मूल में प्रस्तुत कर सत्यापन नहीं कराते हैं, तो इसके लिए किसी भी परिस्थिति में अतिरिक्त समय नहीं दिया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में यथासमय समुचित निर्णय लेने के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा।**

06. यदि दस्तावेज सत्यापन के दिन आप अपनी योग्यता/अनुभव से सम्बन्धित स्पष्ट प्रमाण पत्र मूल में समर्पित नहीं करेंगे तो आपकी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी।

07. (i) यदि आपने अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब दस्तावेजय सत्यापन के समय अनुसूचित जाति/जनजाति के मामले में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(ii) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग की स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक 673, दिनांक 08.03.2011 एवं पत्रांक 704, दिनांक 10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर सत्यापन करना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति प्रमाण पत्र/क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए न कि उनके पति के नाम एवं पता से।

(iii) EWS के आरक्षण की दावा करने वाली विवाहित महिलायें यदि अपने पति के नाम से निर्गत EWS प्रमाण पत्र समर्पित करती हैं तो ऐसी महिला उम्मीदवारों को अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा EWS आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

08. **दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाए जा रहे उम्मीदवारों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। दस्तावेज सत्यापन में शामिल होने मात्र से उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। दस्तावेज सत्यापन के समय या उसके बाद उनकी अभ्यर्थिता/अर्हता पर यथास्थिति एवं यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।**

09. हाल में खींचे गए पासपोर्ट आकार का चार छायाचित्र (Photograph) साथ में अवश्य लायेंगे। इनमें से एक प्रति, ऊपर कंडिका– 3 में इंगित प्रपत्र I में नियत स्थान पर चिपकायेंगे, एवं शेष 03 प्रति, प्रपत्र I के ही प्रथम पृष्ठ पर जेम्स पिन से संलग्न कर देंगे। उक्त तीनों छायाचित्र को हस्ताक्षरित नहीं करेंगे।

10. सम्बन्धित उम्मीदवार उक्त दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रमानुसार आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्धारित समय से 1 (एक) घण्टा पूर्व उपस्थित होंगे।

11. दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित उम्मीदवारों को मोबाईल फोन या किसी प्रकार का **इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यथा ब्लू–टूथ, इलेक्ट्रॉनिक पेन इत्यादि** आयोग परिसर में लाना वर्जित है।

12. **उक्त विज्ञापन की लिखित (वस्तुनिष्ठ) प्रतियोगिता परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन (Documents Verification) के उपरांत दिनांक 27.11.2023 से 30.11.2023 तक साक्षात्कार आयोजित की जायेगी, विस्तृत साक्षात्कार कार्यक्रम आयोग के वेबसाईट पर प्रकाशित है।**

13. दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित होने के लिए कोई यात्रा–भत्ता देय नहीं होगा।

12/X/23

परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना